उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-44/2016/1991/92-1-2016-78(अधि0)/2016
लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को सम्यक विचारोपरान्त जनहित/शासकीय कार्यहित में अपने मूल पद के कार्यो एवं दायित्वों के साथ-साथ नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों अथवा उक्त परिमण्डल में अधीक्षण अभियंता की तैनाती होने जो भी पहले हो, तक के लिये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के पद के कार्यो एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- अधीक्षण अभियंता पद के उक्त अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों को सम्पादित करने के लिये श्री श्रीवास्तव को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- अधीक्षण अभियंता पद के अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-44/2016/1991(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।